यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:–296/2025

1. मगलेश कंवर पत्नी कालूसिह पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 88,

उपस्थिति :–श्री महेश गौड अधिवक्ता **वादी**

श्री राजपैरोकार **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 17/4/26

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि टिब्बी तहसील के अधिनस्थ चकनं0 30 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 110/85 में कुल 3.289 है0 आराजी में वादीया का 274/3289 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादीया का नाम मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली दर्ज है, नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र हैं। वादीया का नाम कागजात में सही नाम मंगलेश कंवर नाम दर्ज है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पूर्व में वादी के पिता दीपसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो उनकी फौतगी के बाद विरास्तन दर्ज हुई है तथा वादीया को शादी से पूर्व घरेलू नाम मंगेज कंवर के नाम से जाना जाता था जिस कारण से विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाते समय वादीया का नाम मंगेज कंवर दर्ज कर दिया गया। वादीया का सही नाम मंगलेश कंवर है जो वादीया की अंकतालिकाओं मे दर्ज है तथा वादीया की शादी के बाद वादीया बाद वादीया का पता मंगलेश कंवर पत्नी कालूसिह पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पोहड़का है जो वादीया के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, आदि में दर्ज है लेकिन वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मे वादीया की शादी से पूर्व वादीया का घरेलू नाम मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली दर्ज है। अब वादीया शादीशुदा है. तथा वादीया के पति का नाम कालूसिंह है तथा वादीया ग्राम पोहड़का में निवास कर रही है। वादीया के आधार कार्ड, पहचान–पत्र तथा वादीया के अंकतालिकाओं की फोटो प्रतियॉ संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में वादीया का नाम मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली दर्ज रहने से तथा वादीया के दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र व अंकातलिकाओं में वादीया का नाम मंगलेश कंवर पत्नी कालूसिंह जाति राजपूत निवासी पोहड़का दर्ज रहने से वादीया के नाम व वल्दियत तथा पता में भिन्नता बनी रहती है जिससे वादीया को अपनी कृषि भूमि की फार्मर आई.डी. बनवाने तथा वादीया वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओ से वंचित होना पड़ रहा है इसलिए वादीया घोषणा इस आशय की प्राप्त करने की अधिकारी है कि चकनं0 30 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 110/85 में दर्ज मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली के स्थान पर अपना नाम व वल्दियत को दुरूस्त करवाकर सही नाम मंगलेश कंवर पत्नी कालूसिह पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पोहड़का अंकित करवाने की अधिकारीणी व दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में दर्ज वादीया का नामरू वल्दियत व पता मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

निवासी पन्नीवाली के स्थान पर मंगलेश कंवर पत्नी कालूसिह पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पोहड़का अंकित कर देवे तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा, बस यही बिनाय दावा है। वादीया का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

क.कि घोषित किया जावे कि चकनं0 30 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 110/85 में दर्ज वादीया का नाम मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली के स्थान पर नाम, पता व वल्दियत दुरूस्त कर मंगलेश कंवर पत्नी कालूसिह पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पोहड़का अंकित किया जावे।

ख.कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ग.कि अन्य कोई अनुतोष बहक वादीया हो तो दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व टिब्बी से जवाब प्राप्त किया गया तहसीलदार राजस्व टिब्बी/राजपैरोकार ने जवाब स्टेट पेश किया तहसीलदार रिपोर्ट मय पटवारी रिपोर्ट मुताबिक वादीया का नाम मंगलेश कंवर पत्नी कालू सिंह पुत्री दीप सिंह किया जाना उचित है।

वाद के समर्थन मे वादीया मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया दस्तावेज जमाबंदी चक 30 एनजीसी खाता स0 110/85 प्रदर्श 1, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 2, आधार कार्ड प्रदर्श 3बी, अंकतालिका मा0शिक्षा मण्डल प्रदर्श 4, व 5, बैक पासबुक प्रदर्श 6 आदि दस्तावेज करवाए।

वादी द्वारा वाद के समर्थन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो प्रदर्श 1 ता 6 में वादीया का नाम मंगलेश कंवर पत्नी कालुसिंह दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार राजस्व टिब्बी के जवाब अनुसार वादी का का नाम मंगेज कंवर पुत्री दीपसिंह के स्थान पर दुरस्त किया जाकर मंगलेश कंवर पत्नी कालुसिंह पुत्री दीपसिंह जाति राजपूत निवासी पोहडका किया जाना न्यायोचित है। वाद वादीया स्वीकार किया जाकर चकनं0 30 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 110/85 में दर्ज मंगेज कंवर पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर सही नाम मंगलेश कंवर पत्नी कालूसिह पुत्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पोहड़का दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।